[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 31/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 11 सितंबर, 2017

सा.का.नि. ……….. (अ)—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सा.का.नि. सं0 1071(अ), तारीख 28 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं0 26/2017-केंद्रीय कर, तारीख 28 अगस्त, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन, इनपुट सेवा वितरक द्वारा, जुलाई, 2017 मास के लिए, विवरणी देने की समय-सीमा को, 13 अक्तूबर, 2017 तक बढ़ाते हैं ।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन, अगस्त, 2017 मास के लिए, विवरणी देने की समय-सीमा के विस्तार को, बाद में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार